6321

अर्द्धशासकीय पत्र सं0: सीए/एसटीएफ-12(1)2013 (निर्देश)

अरुण कुमार,
आई.पी.एस.

अपर पुलिस महानिदेशक,
(अपराध एवं कानून व्यवस्था)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलकमार्ग, लखनऊ

दिनांक: अप्रैल 19 ,2013

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि आज के सूचना प्रधान युग में संचार सेवाओं की उपलब्धता प्रदेश में सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए मूलभूत आवश्यकतायें हैं। इन सेवाओं के विकास एवं उपलब्धता में कानून व्यवस्था के कारण किसी प्रकार की बाधा पुलिस की असफलता है।

विगत काफी दिनो से इस मुख्यालय को ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि असामाजिक तत्वों द्वारा सेल्युलर मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कम्पनियों के कार्यों में बाधायें उत्पन्न की जा रही है। ऐसी कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि स्थानीय पुलिस थानों में शिकायत किये जाने पर भी सामान्यत: कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे आपराधिक तत्वों का मनोबल और अधिक बढ रहा है। आपराधिक घटनाओं के कारण जहां एक ओर कम्पनी के कर्मियों में घोर असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है वहीं दूसरी ओर कम्पनियों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त ऐसी परिस्थिति में जनता को उपलब्ध होने वाली सेवायें बाधित होती है और कानून व्यवस्था एवं आकस्मिकता की स्थिति में प्रशासन को भी सेल्युलर सेवायें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। यह स्थिति न केवल चिन्ताजनक है बल्कि घोर अवांछनीय भी है।

इस मुख्यालय के स्तर पर सेल्युलर मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की गयी। एस0टी0एफ0 से इनकी समस्याओं के विषय में छानबीन करायी गयी। तमाम शिकायतें सही पायी गयी। कतिपय प्रकरणों में एस0टी0एफ0 द्वारा संकलित अभिसूचना के आधार पर कार्यवाही भी की गयी। टावर के संचालन में निम्नलिखित समस्यायें प्रकाश में आयीं:-

1. डीजल/बिजली चोरी करने के इरादे से टावर पर कब्जा करना।
2. मोबाइल टावर परिसर में लगे उपकरणों यथा जेनरेटर, इन्वर्टर, बिजली मीटर आदि के साथ छेड़छाड करना।
3. कम्पनी के टेक्नीशियन को नियमित अनुरक्षण का कार्य न करने देना और गाली-गलौज कर डराना-धमकाना।

SP (L/O)

पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था)

4. टावर परिसर के अन्दर अराजक तत्वों को एकत्रित कर वहाँ पर जुआ/शराब आदि का सेवन करना।
5. टावर पर लगे जनरेटर के लिए डीजल सप्लाई करने का ठेका जबरन प्राप्त करना।
6. टावर पर अपने आदमी को सुपरवाइजर नियुक्त करने के लिए दबाव डालना।
7. कम्पनी प्रतिनिधि को अपने प्रभाव में लेने के लिए टावर परिसर में लगे उपकरणों को अनधिकृत रूप से बन्द कर देना।

सेल्युलर मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कम्पनियों की उक्त शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए एस0टी0एफ0 द्वारा अभिसूचना संकलन कर दिनांक 16-04-2013 को जनपद-लखनऊ, गाजीपुर तथा जनपद-आजमगढ में इस प्रकार का अपराध करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जनपद-गाजीपुर में 02 अभियुक्तों को गिरफतार कर जेल भेजा गया है, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0-80/13 धारा-392/384/447/504/506 भादवि व 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट थाना-सादात में पंजीकृत कराया गया, जनपद-लखनऊ में एक अभियुक्त को गिरफतार कर जेल भेजा गया, जिसके सम्बन्ध में थाना - पी0जी0आई0 में मु0अ0सं0-127/13 धारा - 394/352/323/504/506 भादवि व 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट पंजीकृत कराया गया तथा जनपद-आजमगढ में एक अभियुक्त को गिरफतार कर जेल भेजा गया, जिसके सम्बन्ध में थाना-महाराजगंज में मु0अ0सं0-126/13 धारा - 147/148/149//392/3379/386 भादवि व 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट पंजीकृत कराया गया।

यह भी संज्ञान में आया है कि जनपद शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, भदोही, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ व वाराणसी में इस प्रकार की समस्यायें बहुत अधिक हैं तथा इस प्रकार की गतिविधियां संगठित गिरोहों तथा माफिया तत्वों के संरक्षण में चलायी जा रही है।

इस स्थिति को सामान्य करने के लिये स्थानीय थाने को प्रभावी रूप से सक्रिय करना होगा। आप में दृढ़ संकल्प होगा तो संचार व्यवस्था को बाधित करने वाले किसी भी कुप्रयास को सफल नहीं होने दिया जायेगा। विधि अनुसार किराये पर लिये गये परिसर में कम्पनी प्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक, उसके साथ मारपीट अथवा दुर्व्यवहार तथा टावर परिसर में लगे उपकरणों को भौतिक क्षति पहुँचाना निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में आते हैं, इस पर ठोस नियंत्रण करना आपकी मूलभूत जिम्मेदारी है।

मोबाइल टावरों पर हो रही आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां किये जाने के संबंध निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

1. सेल्युलर मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाये

तथा उस पर त्वरित कार्यवाही की जाये, जिससे असामाजिक तत्व पुनः इस प्रकार का दुस्साहस न कर सकें। यदि कार्यवाही के बाद पुनः व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो अभियुक्तों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की जाये:-

अ) गैंगेस्टर एक्ट

ब) गुण्डा एक्ट

स) धारा 107/116(3) द0प्र0सं0 में पाबन्द कराने की कार्यवाही तथा पुनः शिकायत प्राप्त होने पाबन्द धनराशि को जब्त करने की कार्यवाही।

2. यदि एक ही व्यक्ति द्वारा कई मोबाइल टावरों तथा क्षेत्रों में व्यवधान/दबाव उत्पन्न किया जा रहा हो तो उसके विरूद्ध कार्यवाही तथा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही काईम ब्रॉच के माध्यम से करायी जाये।

3. जिन प्रकरणों में संगठित गिरोहों तथा माफिया तत्वों की भूमिका पायी जा रही हो उनके संबंध में क्राइम ब्रान्च द्वारा एस0टी0एफ0 को सूचना उपलब्ध करायी जाये तथा एस0टी0एफ0 द्वारा कार्यवाही की जाये।

4. जनपद से प्राप्त सूचनाओं का संकलन तथा विश्लेषण कर गिरोहों एवं माफियाओं के चिन्हीकरण की कार्यवाही एस0टी0एफ0 के स्तर पर की जाये।

5. जनपद एवं एस0टी0एफ0 के मध्य समन्वय का कार्य पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 द्वारा किया जाये।

6. अपने जनपद में इस प्रकार की समस्याओं की जानकारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 से सम्पर्क किया जाये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 द्वारा कम्पनियों से प्राप्त शिकायतों का विवरण मेल पर जनपदों को उपलब्ध करा दिया जाये।

7. कृत कार्यवाही से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 को अवगत कराया जाये जिससे कि मोबाइल टावर प्रदाता कम्पनियों के साथ आगामी गोष्ठियों में सूचनाओं का समुचित आदान प्रदान किया जा सके।

अपेक्षा की जाती है कि आप सभी इस दिशा में समेकित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, जिससे सेल्युलर मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कम्पनियां भयमुक्त वातावरण में कार्य कर सके तथा जनसामान्य को मोबाइल सेवा प्रदान करने में असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में कार्य करते हुए पुलिस बल भविष्य में इस दिशा में प्रभावी ढंग से कार्यवाही करेगा।

भवदीय,

(अरुण कुमार)

समस्त जनपदीय पुलिस अधीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
(नाम से)

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. पुलिस महानिरीक्षक(अपराध)उ0प्र0
2. पुलिस महानिरीक्षक(कानून-व्यवस्था),उ0प्र0।
3. पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,उ0प्र0
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0,उ0प्र0